प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 अप्रैल, 2018

विषयः- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में स्थापित बर्न यूनिट के संचालन हेतु पदों का सृजन।

;----------

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13683/योजना/2018, दिनांक 17-2-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में स्थापित बर्न यूनिट के संचालन हेतु शैक्षणिक संवर्ग के निम्नलिखित 12 पदों को अस्थायी रूप से, दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक के लिए, बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निम्नांकित विवरण एवं शर्तो के अधीन सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रम	पदनाम	शैक्षणिक पद	वेतनमान
01	प्रोफेसर	01	रू0 37400-67000 ग्रेड पे-रू0 10500/-
02	एसोसिएट प्रोफेसर	03	रू0 37400-67000 ग्रेड पे-रू0 9000/-
03	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एनेस्थीसिया)	04	रू0 15600-39100 ग्रेड पे-रू0 8000/-
04	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (क्रिटिकल केयर)	04	रू0 15600-39100 ग्रेड पे-रू0 8000/-
	योग-	**12**	-

2- सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हता/आवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा। पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1166/दस-2018, दिनांक 26 अप्रैल, 2018 द्वारा में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 85/2018/1593(1)/71-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त वे0आ0-1
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।